भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 158

सोमवार, 1 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक)

असंगठित क्षेत्र के कारीगरों और श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपाय

158. डॉ. अमर सिंह:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा प्रचलित शोषण और विलंब के मुद्दों को देखते हुए निजी एजेंसियों, विशेष रूप से असंगठित में, के माध्यम से कार्यरत कारीगरों और श्रमिकों को ग्रेच्युटी और सामाजिक सुरक्षा लाभों का समय पर और पूर्ण वितरण सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा श्रमिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए जनशक्ति अनुबंधों में न्यूनतम सेवा शुल्क बढ़ाने और वित्तीय हेराफेरी को रोकने के लिए और जीएसटी का सरकार द्वारा प्रत्यक्ष भुगतान अनिवार्य करने के लिए प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा जन जागरूकता, शिक्षा सुधारों और विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे श्रम प्रथाओं की मान्यता के माध्यम से श्रम की गरिमा और उचित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित की जा रही या तैयार की जाने वाली नीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत, यह उपबंध किया गया है कि नियोक्ता कर्मचारी को देय होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ग्रेच्युटी की राशि का भुगतान करने की व्यवस्था करेगा।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं निजी एजेंसियों के माध्यम से लगे कारीगरों और कामगारों सहित सभी असंगठित कामगारों के लिए हैं। सरकार ने सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) में कार्यबल संविदा में न्यूनतम सेवा शुल्क 3.85% निर्धारित किया है। इसके अलावा, सरकार जीएसटी भुगतान का चालान प्राप्त होने के बाद ठेकेदार द्वारा जीएसटी के रूप में भुगतान की गई राशि की प्रतिपूर्ति करती है।

सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत अपने संस्थान दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक जागरूकता, शिक्षा सुधारों और सभी क्षेत्रों में अच्छी श्रम प्रथाओं की मान्यता के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है।

***